

दिनांक १७/११/२०१४

विषय : - वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित
०६.१२.२०१३ से प्रभावी, विदेशी मुद्रा की भारतीय मुद्रा में
या भारतीय मुद्रा की विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की विनियम
दर।

उपरोक्त विषय पर रक्षा लेखा महानियन्त्रक
कार्यालय के दि० २६/१२/२०१३ के पत्र सं. लेखा/१११/७४९६/ई.भार
ओ आर/२०१३-१४ के अधिन प्राप्त भारत सरकार रक्षा
मंत्रालय वित्त प्रभाग / बजट-११ दि. ११/१२/१३ की द्वाया प्रति
आपेक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित की
जा रही है। आपसे अनुरोध है कि इसकी प्रतिनिधि
अपने अधीनस्थ कार्यालयों को प्रेषित करें। कृपया धार्वी

४०

लेखा अधिकारी (आडिट);

प्रतिनिधि सेवामें

- ① रक्षा लेखा महानियन्त्रक
उत्तम बटारमणि, पालम, दिल्ली कैंट-१०, — सूचनार्थ
- ② रक्षा लेखा नियन्त्रक (सी.स) गुवाहाटी
- ③ रक्षा लेखा संचुक्म नियन्त्रक (सी.स) चण्डीगढ़
- ④ वेतन लेखा कार्यालय (गोफ) पुणे - १५
- ⑤ प्रभारी अधिकारी, ई. डी. पी. अनुभाग, स्थानीय)
- ⑥ वेब साइट अपडेशन हेतु।
ओ रण्ड रम शैल (स्थानीय)



लेखा अधिकारी (आडिट);



कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक, उलन बटार मार्ग, पालम दिल्ली छावनी-110010

दूरभाष सं- 11-25665548,25665736/37,25665583/84,र.ले.म.नि(लेखा एवं बजट)

दूरभाष : 011-25665614, फैक्स: 011-25674786,25674819

सं लेखा/III/7896/इ आर/ ओ आर/ 2013-14

दिनांक 26.12.2013

सेवा में,

र.ले.प्र.नि/स्.ले.नि. (सीमा (155))

दिल्ली 5-27

विषय: वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित 06.12.2013 से प्रभावी, विदेशी मुद्रा की भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा की विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की विनिमय दर ।

रक्षा मंत्रालय (वित्त/बजट-II) की उपरोक्त विषय से संबंधित सूचना जो कि र0 मं0 (वित्त) की क्रमशःअ0 वि0 सं0 230(1)/2009/बजट- II दिनांक 09.12.2013 के अधीन प्राप्त हुई है, सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रेषित की जाती है ।

१/०३ ५१४

व0 ले0 अ0 (लेखा)

Ministry of Defence (Fin)
(Budget-II)

Subject: Exchange rates of conversion of foreign currency into Indian Currency or vice-versa effective from 6.12.2013 notified by the Ministry of Finance, Department of Revenue.

In continuation of Ministry of Defence (Finance)'s ID No. 230(1)/2009/B-II dated 25.11.2013, a copy of Department of Revenue Notification No. 117/2013-Customs (N.T) dated 5.12.2013 on the above subject is forwarded herewith for necessary compliance.

S.C. Jana

(S.C. Jana)

A.F.A (Budget-I)

Encl. As above

1. Dte. of Financial Planning (FP-3), AHQ
2. Air HQrs. (Dte. of Financial Planning)
3. DNP, Naval HQrs
4. R&D Organization (DMM)
5. DGOF, New Delhi
6. Planning Officer (Def),(Dte. of Planning and Coordination), DDP.
7. Cash Section MoD(Fin).

MoD (Fin) I. D. No. 230(1)/2009/B-II Dated 9 .12.2013

Copy to : 1. D(N-I), 2. D(N-II), 3. D(Air-I), 4. D(Air-IV), 5. DDMC-I Room No. 3-A, 6. D(Prod), 7. D(O-I), 8. D(GS-IV), 9. MGO(PPO-4), 10. MGO(PPO-5), 11. MGO(PPO-3), 12. IFA(Army), 13. IFA(Navy), 14. IFA(Air Force), 15. Dir(P&C), 16. Dir(Fin/O), 17. Dir(AF/EQPT), 18. Dir(Fin/R&D), 19. Dir(DP), 20. Dir(AF/Org), 21. Dir(Fin/PSU), 22. MOD(Cash Section)- 2 copies, 23. DGQA, 24. APMO (Budget), 25. Fin/O2P, 26. MGO/EM(GS&C) 27. DFA (GS) 28. AFA (ATVP) 29. AFA (BRDB)

Copy also to: 1. CGDA New Delhi, 2. PCDA Hqrs, New Delhi, 3. CDA(R&D) New Delhi, 4. CDA (N)Bombay, 5. Project Manager APMO Air Hqrs, 6. Controller of Finance OFB Kolkatta, 7. Asstt. Dir(Budget)Coast Guard Hqrs National Stadium New Delhi, 8. CDA(R&D) Bangalore, 9. CC of AFYS Kolkatta, 10. CDA(BR) Seema Sadak Bhawan Ring Road Naraina, Delhi Cantt, 11. IF Army/M) Kashmir House New Delhi, 12. CDA, 107, Lower Agram Road, Agram Post, Bangalore



रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)

बजट-11 अनुभाग

विषय:- वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित -6.12.2013- से प्रभावी, विदेशी मुद्रा की भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा की विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की विनिमय दर ।

रक्षा मंत्रालय (वित्त) के दिनांक -25.12.2013- की अ०वि० संख्या 230(1)/2009/ब०-11 के क्रम में राजस्व विभाग की दिनांक -5.12.2013- की अधिसूचना संख्या 117/2013-शुल्क (एन टी) की एक प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए अग्रेषित की जाती है ।

सुधीर चंद्र

सहायक वित्तीय सलाहकार (बजट-1)

संलग्न. उपर्युक्त ।

1. वित्तीय योजना निदेशालय (वि०यो-3)- दो प्रतियां ।
2. वायु मुख्यालय (वित्तीय योजना निदेशालय) - दो प्रतियां ।
3. डीएनपी, नौसेना मुख्यालय - दो प्रतियां ।
4. अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीएमएम) ।
5. आरसीपीओ, नई दिल्ली ।
6. स०वि०स० (एटीवीपी) 7. स०वि०स० (बीआरडीबी) मुख्यालय/आईडीएस 8. योजना अधिकारी (रक्षा), (योजना एवं समन्वय निदेशालय) ।
9. र०मं० (वित्त) रोकड़ अनुभाग-2 प्रतियां ।

र०मं०(वि०प्र०) अ०वि० सं० 230(1)/2009/बजट-11 दिनांक 9.12.2013

प्रति प्रेषित- 1. रक्षा (एन-1), 2. रक्षा (एन-11), 3. रक्षा (वायु-1), 4. रक्षा (वायु-IV), 5. जेडीएमसी-1 कमरा संख्या 392, सेना मुख्यालय, 6. रक्षा (उत्पादन), 7. रक्षा(ओ-1), 8. रक्षा(जीएस-IV), 9. एमजीओ(पीपीओ-04), 10. एमजीओ (पीपीव-5), 11. एमजीओ(पीपीओ-3), 12. आईएफए(सेना), 13. आईएफए(नौसेना), 14. आईएफए(वायुसेना), 15. निदेशक (पीएंडसी), 16. निदेशक (वित्त/ओ), 17. निदेशक (वा०से०/उपस्कर), 18. निदेशक (वित्त/अनु० एवं विकास), 19. निदेशक (डीपी), 20. निदेशक(वायु/संगठन), 21. निदेशक (वित्त/पीएसयू), 22. रक्षा मंत्रालय (रोकड़ अनुभाग)-दो प्रतियां, 23. डीजीव्यूए, 24. एपीएमओ (बजट), 25. वित्त/ओ२पी, 26. एमजीओ/ईएम(जीएस एंड सी) 27. श्री शंकर (जी-२२०)

इन्हें भी प्रति प्रेषित :- 1. र०ले०मं०वि० नई दिल्ली, 2. र०ले०वि० मुख्यालय, नई दिल्ली, 3. र०ले०वि०(अनु० एवं विकास) र०ले०वि० (नौसेना), मुम्बई, 5. परियोजना प्रबंधक एपीएमओ वायुसेना मुख्यालय, 6. वित्त नियंत्रक, आयुध निर्माणी बोर्ड कोलकाता, 7. सहायक निदेशक (बजट) तट रक्षक मुख्यालय, नेशनल स्टैंडियम, नई दिल्ली, 8. रक्षा लेखा नियंत्रक (अनु० एवं विकास) बंगलुरु, 9. सीसी और एफवर्डएस कोलकाता, 10. र०ले०वि० (रोमा सड़क), रोमा सड़क भवन, रिंग रोड नारायण, दिल्ली छावनी, 11. आईएफ सेना(एमी) कश्मीर हाऊस, नई दिल्ली, 12. र०ले०वि० 107, लोवर अग्रम रोड, अग्रम पोस्ट बंगलुरु ।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

NOTIFICATION
NO.117/2013-CUSTOMS (N.T.)

DATED THE 5th December, 2013
14 Agrahayana, 1935(SAKA)

S.O. (E). – In exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in super session of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.112/2013-CUSTOMS (N.T.), dated the 21st November, 2013 *vide* number S.O.3453 (E), dated the 21st November, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such super session, the Central Board of Excise and Customs hereby determines that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of each of Schedule I and Schedule II annexed hereto into Indian currency or *vice versa* shall, with effect from 6th December, 2013, be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof, for the purpose of the said section, relating to imported and export goods.

SCHEDULE-I

S.No.	Foreign Currency	Rate of exchange of one unit of foreign currency equivalent to Indian rupees	
		(a)	(b)
(1)	(2)	(3)	
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Australian Dollar	56.50	55.15
2.	Bahrain Dinar	168.60	159.35
3.	Canadian Dollar	58.60	57.15
4.	Danish Kroner	11.45	11.10
5.	EURO	84.85	82.90
6.	Hong Kong Dollar	8.05	7.90
7.	Kuwait Dinar	224.55	212.05
8.	New Zealand Dollar	51.40	50.10
9.	Norwegian Kroner	10.20	9.90
10.	Pound Sterling	102.30	100.05

Contd. 2

	Singapore Dollar	39.80	39.80
	South African Rand	6.10	58.5
13.	Saudi Arabian Riyal	16.95	16.90
14.	Swedish Kroner	9.65	9.35
15.	Swiss Franc	69.40	67.55
16.	UAE Dirham	17.30	16.35
17.	US Dollar	62.30	61.30

SCHEDULE-II

(1)	Foreign Currency	Rate of exchange of 100 units of foreign currency equivalent to Indian rupees	
		(3)	
	(2)	(a)	(b)
		(For Imported Goods)	(For Export Goods)
1.	Japanese Yen	61.10	59.65
2.	Kenya Shilling	73.45	69.20

[F.No.468/03/2013-Cus.V]

(M. SATISH KUMAR REDDY)
 DIRECTOR (ICD)
 TELE: 2309 3380